रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244082 CG-DL-E-03032023-244082

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 974] No. 974] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

का.आ. 1012(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, का. आ..4496 (अ) तारीख 23 सितंबर 2022 द्वारा प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ 2 में, "4.0" अंकों के स्थान पर, "5.0" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2-2/2022 उर्वरक लॉ.]

प्रिय रंजन संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :-यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 23 सितम्बर, 2022 में संख्यांक का.आ.4496 (अ), तारीख 23 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

1429 GI/2023 (1)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 2023

S.O. 1012(E).—In pursuance of clause 20 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby makes the following amendments in the order published in the Gazette of India vide S.O.4496 (E), dated 23rd Septembe,2022, namely:-

In Table to the said order, against serial number 7, in column2, for the figures "4.0", the figures "5.0" shall be substituted.

[F. No. 2-2/2022Fertlaw]

PRIYA RANJAN Jt. Secy.

Foot note :-The order was published in the Gazette of India , Extraordinary , part II, Section3, sub-section (ii) , dated 23rd September,2022, vide number S.O.4496 (E) , 23rd September2022.